प्रकरण संख्या 13/2018 2018/00064 ता0 रजू 07.06.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

अर्जुन पुत्र मुरली आयु 60 साल जाति गुर्जर निवासी अतेवा तहसील व जिला करौली (राज.)

– अपीलाण्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 16.01.2018 न्यायालय नायब तहसीलदार करौली मुकदमा उनवानी सरकार बनाम अर्जुन मुकदमा नं. 414/18 धारा 91 एल.आर.एक्ट जिसकी रूह से अपीलाण्ट को 2 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है के विरूद्ध तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 26.08.2019

यह अपील राजस्थान भू–अभिलेख अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम अतेवा की आराजी खसरा नंबर 511 रकबा 10–00 बीघा किस्म पहाड़ पर 2–00 बीघा में फसल काश्त, 2–00 बीघा में पक्की बाउण्ड्री व मकान, 6–00 बीघा में पत्थरों का घेरा डालकर कब्जा कर लेने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार तहसीलदार करौली द्वारा दिनांक 16.01.2018 को 250 रुपये शास्ती, 2 माह (60 दिवस) के सिविल कारावास की सजा, एवं राजकीय जमीन से बेदखली का निर्णय पारित किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील, अपीलार्थी द्वारा पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 16.01.2018 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरवेट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.01.2018 को अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश कर खसरा नम्बर 511 रकबा 10 बीघा ग्राम अतेवा पर कोई कब्जा नहीं होना जवाब में अंकित किया है। दिनांक 16.01.2018 के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से अपीलाण्ट के समक्ष व अपीलाण्ट की उपस्थिति में कोई मौका निरीक्षण नहीं कराया है ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2018 में यह अंकित किया है कि किस दिवस व दिनांक को पटवारी व गिरदावर हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गयी है जबकि प्रकरण दिनांक 02.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 16.01.2018 की प्रथम तारीख पेशी निर्धारित की है जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का से नही करायी गयी है ना ही पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध किये गये है ना ही अपीलाण्ट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर दिया गया है। बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना एक ही दिन में सारी प्रक्रिया अपनाते हुये एवं अपीलाण्ट को न्याय से वंचित रखते हुये जैर अपील निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 16.01.2018 के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के दिनांक 16.01.2018 को जवाब प्रस्तुत करने के बाद कोई मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से तलब नही की गयी है गलत तरीके से अपने निर्णय मे पुनः पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से रिपोर्ट तलब करना लिखते हुये जैर अपील निर्णय विधि विरूद्ध रूप से पारित किया है। अपीलाण्ट को दिनांक 16.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के जवाब पेश करने के बाद यह कहा कि हम पटवारी हल्का से व गिरदावर हल्का से आपको नोटिस देते हुए पुनः जांच करायेंगे तब आपको तलब कर लेंगे। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर
करौली

के विश्वास में रहा परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को धोखे में रखते हुये प्रकरण में अग्रिम तारीख पेशी नियत किये बिना ही दिनांक 16.01.2018 को विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी दिनांक 22.05.2018 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट से पैनल्टी राशि मांग करने पर हुई। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 23.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में आकर प्रकरण की जानकारी करने पर रेस्पोण्डेण्ट द्वारा प्रकरण का दिनाक 16.01.2018 को ही निर्णय करने की कहने पर अपीलाण्ट द्वारा उसी दिन नकल का आवेदन कराकर नकल निर्णय दिनांक 16.01.2018 दिनांक 29.05.2018 को प्राप्त होने पर हुयी है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को जैर अपीला निर्णय दिनांक 16.01.2018 की जानकारी नहीं रही है। दिनांक 16.01.2018 से दिनांक 23.05.2018 तक का समय अपीलाण्ट के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। मेरा मकान उक्त भूमि में बना हुआ है। मेरा अन्य कोई कब्जा उक्त भूमि में नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 11.12.2017 को पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार करौली में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम अतेवा की आराजी खसरा नंबर 511 रकबा 10–00 बीघा किस्म पहाड़ पर 2–00 बीघा में फसल काश्त, 2–00 बीघा में पक्की बाउण्ड्री व मकान, 6–00 बीघा में पत्थरों का घेरा डालकर अपीलार्थी अर्जुन पुत्र मुरली गुर्जर निवासी सा.देह द्वारा कब्जा कर लिया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी श्री अर्जुन की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था एवं जवाब, साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर दिया गया था। नियत दिनांक को अपीलार्थी स्वयं वकालतन उपस्थित हुआ एवं मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण स्वीकार किया था। ऑर्डरशीट पर अपीलार्थी के स्वयं की निशानी अंगूठा हैं। अतिक्रमी का उक्त राजकीय भूमि पर कब्जा प्रमाणित पाया जाने पर उसी दिन अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी की उपस्थिति में निर्णय की सम्पूर्ण कार्यवाही की गई थी जो विधि सम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज करने का कथन किया है।

हमने बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। अतिक्रमी अपीलार्थी द्वारा ग्राम अतेवा की आराजी खसरा नं. 511 किस्म पहाड़ पर रकबा 2–00 बीघा में फसल काश्त कर, 2–00 बीघा में पक्की बाउण्ड्री एवं मकान निर्माण कर तथा 6–00 बीघा में पत्थरों का घेरा डालकर कुल 10–00 बीघा राजकीय भूमि में अतिक्रमण कर लिया है जिसे अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मकान का बना होना इस न्यायालय में भी स्वीकार किया है। इस प्रकार राजकीय भूमि पर अतिक्रमी अपीलार्थी का कब्जा प्रमाणित होने के कारण अपील अपीलार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2018 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली